47

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

(कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई)

लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया	20.12.2022
राज्य सभा के पटल पर रखा गया	20.12.2022

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)

सीओए सं. 459

मूल्य: …….. **रुपए**

© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और लोक सभा सचिवालय द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

पृष्ठ

समिति (2021-22) की संरचना	....	(iii)
समिति (2022-23) की संरचना	....	(v)
प्राक्कथन	....	(vii)
अध्याय एक	प्रतिवेदन..................................	1
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है...........	10
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती..................	27
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किए हैं..	28
अध्याय पांच	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं..	32

अनुबंध

समिति की 15.11.2022 को हुयी दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश **33**

परिशिष्ट

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण...... 37

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* (2021-22) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मंडावी
9. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी पटेल
11. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
12. श्री बी. बी. पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रूडी
17. मोहम्मद सादिक
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव
@27. रिक्त
@28. रिक्त
@29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

@ श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

<u>सचिवालय</u>

1ए	श्री शिव कुमार	.	अपर सचिव
2ए	श्री सुन्दर प्रसाद दस	.	निदेशक
3ए	श्री प्रेम रंजन	-	उप सचिव

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह (ऊर्फ)
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव
*21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डाअनिल सुखदेवराव . बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

---

* दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

सचिवालय

1.	**श्री शिव कुमार**	**-**	**अपर सचिव**
2.	**श्री नवल के. वर्मा**	**-**	**निदेशक**
3.	**श्री उत्तम चंद भारद्वाज**	**-**	**अपर निदेशक**
4.	**श्री प्रेम रंजन**	**-**	**उप सचिव**

प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त हुईं।

3. प्रतिवेदन को समिति की 15.11.2022 को हुई बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

नई दिल्ली;
6 दिसम्बर, 2022
15 अग्रहायण,1944(शक)

पी. सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि,पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

अध्याय-एक
प्रतिवेदन

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के संबंध में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, जिसे दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

1.2 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी 12 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन उत्तरों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

सिफारिश सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 11 **कुल - 09**

अध्याय-दो

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

सिफारिश सं. शून्य **कुल - 00**

अध्याय-तीन

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं:

सिफारिश सं. 8 और 12 **कुल - 02**

अध्याय-चार

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं:

सिफारिश सं. 9 **कुल - 01**

अध्याय-पांच

1.3 समिति यह चाहती है कि सरकार द्वारा स्वीकृत टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाए। यदि मंत्रालय/विभाग के लिए किसी भी कारण से सिफारिशों को अक्षरशः कार्यान्वित करना संभव न हो तो मामले को कार्यान्वयन न किए जाने के कारणों सहित समिति को लिखित रूप में सूचित किया जाए। समिति यह चाहती है कि अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की गई कार्रवाई टिप्पणियां और इस प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम की-गई-कार्रवाई उत्तर उन्हें अतिशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

1.4 समिति अब अगामी पैराओं में सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।

क. <u>कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)</u>

सिफारिश (क्र.सं. 8)

1.5 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की:-

"समिति यह नोट करती है कि कृषि प्रसार प्रभाग, कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थान आधारित विशेषता का पता लगाने के लिए ऑन-फार्म परीक्षण, विभिन्न फसलों की उत्पादन सम्भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए फ्रंटलाइन प्रदर्शन, ज्ञान और कौशल सुधार पर किसानों और विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण तथा देश के अंदर 750 जिलों में फैले 727 कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है। समिति विभाग के उत्तर को भी नोट करती है कि सरकार के निर्णय के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक केवीके स्वीकृत किया जाना है। वर्तमान में देश में 727 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, बताया गया है कि 92 जिलों में एक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यरत हैं, किन्तु देश में 73 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। किसी जिले में एक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों का निर्णय भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण आबादी और शुद्ध बुवाई क्षेत्र नामक तीन सूचकांकों के औसत के

साथ एक संयुक्त सूचकांक के आधार पर लिया जाता है। समिति को अवगत कराया गया है कि सभी 727 कृषि विज्ञान केन्द्रों में शिक्षण फार्म हैं, किन्तु इनमें से सिर्फ 663 कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रशासनिक भवन और 563 कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषकों के लिए छात्रावास हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में 01 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तथा 06 विषय-विशेषज्ञों के पद का प्रावधान है। किन्तु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के 193 पद और विषय-विशेषज्ञों के 1257 पद रिक्त पड़े हैं। समिति का यह सुविचारित मत है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों को अविलम्ब सुदृढ़ता प्रदान की जाए और उनके क्षेत्र में खेती करने वाले जनसमुदाय को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विस्तार एवं सम्पर्क कार्यक्रमों के रूप में इसे अधिक उपयोगी बनाया जाए। अत: समिति, विभाग को वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 73 जिलों में, जिनमें एक भी केवीके नहीं है और जो जिले भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण आबादी और शुद्ध बुवाई वाले क्षेत्र नामक तीन सूचकांकों के औसत के साथ समग्र सूचकांक के आधार पर एक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों के हकदार हैं, वहां पर कम से कम एक केवीके खोलने की सिफारिश करती है। इस संबंध में विभाग पर्याप्त धनराशि की मांग कर सकता है। समिति, विभाग को प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केवीके में आवश्यक सुविधाओं-बुनियादी व्यवस्था, मशीनरी, उपस्करों एवं उपकरणों, जनशक्ति आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नए विकसित बीजों, मशीनों, कृषि प्रौद्योगिकियों/प्रथाओं आदि के प्रति प्रदर्शन व प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से किसानों में जागरूकता लाने और इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केवीके में किसानों को दिए गए प्रशिक्षण के परिणाम और प्रभावशीलता की जांच भी करने की सिफारिश करती है।"

1.6 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार बताया:-

"विभाग ने निधि की उपलब्धता के अनुसार केवीके में आधारभूत संरचना निर्माण के प्रयास किए। मौजूदा योजना में शेष बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान किया गया है. पिछले पांच वर्षों के दौरान आवश्यकता के अनुसार, कृषि मशीनरी और उपकरण, दलहन बीज केन्द्र, मिट्टी परीक्षण किट, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ केवीके की संख्या को बढ़ाया गया है। वर्तमान में, देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हैं और ईएफसी के अनुसार देश में 14 और कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।''

1.7 कृषि आबादी को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विस्तार और आउटरीच कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हुए, समिति ने विभाग को 2022-23 के दौरान शेष 73 जिलों, जिनमें एक भी केवीके नहीं है और जो भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण आबादी और शुद्ध बुवाई क्षेत्र जैसे तीन सूचकांकों के औसत के साथ एक समग्र सूचकांक के आधार पर एक से अधिक केवीके के लायक हैं, में कम से कम एक केवीके खोलने की सिफारिश की थी। समिति ने प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों में बुनियादी ढांचे, मशीनरी, उपस्करों और उपकरणों, जनशक्ति आदि जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से नए विकसित बीजों, मशीनों, कृषि प्रौद्योगिकियों/पद्धतियों आदि के बारे में किसानों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और अधिकतम लाभ उठाने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसानों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रभावकारिता और परिणाम की जांच करने की भी सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि वर्तमान में देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हैं और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अनुसार देश में 14 और कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निधियों की उपलब्धता के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों में अवसंरचना के सृजन के लिए प्रयास किए हैं। मौजूदा योजना में शेष बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान किए गए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या को अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे कृषि मशीनरी और उपकरण, दलहन बीज हब, मृदा परीक्षण किट, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों आदि के साथ सुदृढ़ किया गया है। समिति को यह विवश होकर कहना पड़ रहा है कि विभाग का उत्तर बहुत ही लापरवाही भरा और सामान्य प्रकृति का है। विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 73 जिलों, जहां एक भी कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है और ऐसे जिलों में जो समग्र सूचकांक के आधार पर एक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों के हकदार हैं, में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की है । विभाग का उत्तर कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसानों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रभावकारिता और परिणाम की जांच के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से मौन है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में अपेक्षित सुविधाओं - बुनियादी ढांचे, मशीनरी, उपस्कर और उपकरण, जनशक्ति आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी नहीं बताया है। अतः, समिति 2022-23 के दौरान शेष 73 जिलों में, जिनमें एक भी केवीके नहीं है और जो जिले

भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण आबादी और शुद्ध बुवाई वाले क्षेत्र नामक तीन सूचकांकों के औसत के साथ समग्र सूचकांक के आधार पर एक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों के हकदार हैं, वहां पर कम से कम एक केवीके खोलने प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केवीके में आवश्यक सुविधाओं- बुनियादी व्यवस्था, मशीनरी, उपस्करों एवं उपकरणों, जनशक्ति आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नए विकसित बीजों, मशीनों, कृषि प्रौद्योगिकियों/प्रथाओं आदि को दिखाकर व प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से किसानों में जागरूकता लाने और इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केवीके में किसानों को दिए गए प्रशिक्षण के प्रभावशीलता और परिणाम की जांच भी करने की अपनी पूर्व सिफारिश को दोहराती है।

ख. <u>कृषि शिक्षा</u>

सिफारिश (क्र.सं. 9)

1.8 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की:-

"समिति नोट करती है कि कृषि शिक्षा प्रभाग, शिक्षा योजना, मानव संसाधन विकास और देश की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के गुणवत्ता सुधारों का समन्वय करता है। यह उच्च कृषि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बनाए रखने और उन्नत करने के लिए पाठ्यक्रम की पुनर्रचना और पुनरभिमुखीकरण, कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता और इसे अनुदान जारी करने के साथ जोड़ने, ग्रेडिंग सिस्टम विकसित करने, कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की शुरुआत आदि के माध्यम से प्रयास करता है। समिति, विभाग के इस विचार से पूरी तरह सहमत है कि प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने की आवश्यकता है। समिति को आगे बताया गया है कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग देश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के निर्माण और संशोधन में सक्रिय भूमिका निभाता है और पूरे देश में पाठ्यक्रम को एक समान बनाया गया है। प्रत्येक 10 वर्षों में डीन समिति के गठन के माध्यम से पूर्वस्नातक विषयों के पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुसार संशोधित/अद्यतन किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिश और कार्यान्वयन के अनुसार आवश्यक पाठ्यक्रम संशोधन के लिए छठी डीन समिति का गठन किया गया है। व्यापक क्षेत्र विषयक समितियों (ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर एरिया कमेटियों-बीएसएमए) ने स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी

के 79 विषयों के लिए एनईपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती के पाठ्यक्रम को पूर्वस्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी में लागू कर दिया गया है तथा यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत के लिए समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति पाठ्यक्रम सामग्री के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करेगी। समिति महसूस करती है कि यह अनिवार्य आवश्यकता है कि विभाग पूर्वस्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती की पाठ्य सामग्री के लिए दिशा-निर्देश और रूपरेखा तैयार करने में तेजी लाए। "

1.9 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार बताया:-

"विभाग ने स्नातकोत्तर (पीजी) और पूर्वस्नातक (यूजी) कार्यक्रमों में प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए 31 मार्च, 2022 को माननीय कृषि मंत्री के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया है। पाठ्यक्रम को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा पूर्वस्नातक विषयों के साथ एकीकृत किया जाएगा। अनुशंसित पाठ्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।"

1.10 विभाग की अनुदान मांगों 2022-23 की जांच के दौरान, यह सूचित किया गया कि स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम दोनों में इसे लागू करने के लिए प्राकृतिक खेती की पाठ्यक्रम सामग्री के लिए दिशानिर्देश और ढांचा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, समिति ने स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) दोनों पाठ्यक्रमों में पेश करने के लिए प्राकृतिक खेती की पाठ्यक्रम सामग्री के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करने में तेजी लाने की सिफारिश की थी। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई के उत्तर में पहले से ही ज्ञात जानकारी प्रस्तुत की है कि पीजी और यूजी कार्यक्रमों में प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए 31 मार्च 2022 को माननीय कृषि मंत्री के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि कॉलेजों के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा स्नातक पाठ्यक्रमों में एकीकृत किया जाएगा। अनुशंसित पाठ्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों में

अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। समिति विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए चाहती है कि विभाग स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम के लिए प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के विकास में तेजी लाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए।

ग. <u>आईसीएआर के संस्थानों में रिक्तियां</u>

सिफारिश (क्र.सं. 12)

1.11 समिति ने निम्नानुसार टिप्पणी/सिफारिश की:-

"समिति ने यह जानकर निराश है कि आईसीएआर के संस्थानों में 5988 वैज्ञानिक पदों, 10829 प्रशासनिक पदों और 6967 तकनीकी पदों की स्वीकृत संख्या में से काफी पद खाली हैं, वास्तविक रूप से संख्या क्रमशः 4858, 6909 और 4106 पद भरे हुए हैं। इस प्रकार आईसीएआर के संस्थान में काफी पद रिक्त हैं। विभाग ने आईसीएआर के संस्थानों में जनशक्ति की कमी का कोई विशेष कारण नहीं बताया है और सीधे तौर पर कहा है कि वैज्ञानिकों के विभिन्न संवर्गों/पदों के रिक्त होने/होने से कामकाज और वांछित परिणामों की उपलब्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण स्थायी समिति (पूर्व में कृषि स्थायी समिति) के 6 सितंबर, 2021 को आईसीएआर-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (सीसीएआरआई), गोवा; 8 सितंबर, 2021 आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक दबाव संस्थान प्रबंधन (एनआईबीएसएम), बड़ौदा, रायपुर और 10 सितंबर, 2021 को आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), विशाखापत्तनम के अध्ययन दौरे के दौरान समिति को अन्य बातों के साथ-साथ इन संस्थानों में जनशक्ति की कमी और विभिन्न वैज्ञानिक और प्रशासनिक पदों के रिक्त होने के बारे में अवगत कराया गया और इन संस्थानों में, उनके सुचारू कामकाज में आ रही कमियों के बारे में बताया गया है। ये सभी वास्तविकताएं विभाग के कामकाज पर बहुत खराब प्रभाव डालती है। विभाग ने निरीक्षण के दौरान बताया कि भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और आईसीएआर रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास करता है और अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसलिए समिति, संस्थानों के सुचारू और अधिक सार्थक कामकाज के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान विभाग को आईसीएआर के संस्थानों में रिक्त पड़े वैज्ञानिक,

प्रशासनिक और तकनीकी पदों को शीघ्रता से भरने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग किसी न किसी बहाने से भर्ती में देरी करने के बजाय कर्मियों की सेवानिवृत्ति और विभिन्न संस्थानों में जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए अग्रिम रूप से भर्ती प्रक्रिया शुरू करे, जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न संस्थानों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां भरी जा सकें। समिति को इस मामले में विभाग और अनुसंधान संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।"

1.12 अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में विभाग ने निम्नानुसार बताया है:-

"विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए हैं। वैज्ञानिक पदों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में लगभग लगभग 220 वैज्ञानिक साक्षात्कार के चरण में हैं तथा कठिन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के 210 रिक्त पदों का अगला सेट भरने के लिए एएसआरबी को भेजने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, रिक्ति अधिसूचना विज्ञापन सं. 01/2021 के तहत आईसीएआर में 89 अनुसंधान प्रबंधन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें 05 पद पहले ही भरे जा चुके हैं और शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। रिक्त 763 तकनीकी पदों पर (टी -1) की भर्ती प्रक्रिया जारी है जिसके लिए फरवरी-मार्च 2022 के दौरान परीक्षा आयोजित की गई थी। तकनीकी सहायक (टी-3) के 748 रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रक्रिया जारी है। सहायक के 467 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन अधिसूचित किया गया है और परीक्षा जल्द-ही आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (एसटीओ) (टी-6) के 46 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।"

1.13 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) में वैज्ञानिक, प्रशासनिक और तकनीकी पदों की अत्यधिक रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने विभाग को संस्थानों के सुचारू और अधिक सार्थक कामकाज के लिए 2022-23 के दौरान आईसीएआर संस्थानों में रिक्त पदों को तेजी से भरने की सिफारिश की थी। समिति ने विभाग को यह भी सिफारिश की थी कि वह कार्मिकों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और किसी न किसी बहाने भर्ती में देरी करने के बजाय विभिन्न संस्थानों में जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करे,

जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हुई हैं। विभाग ने अपने की गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि उसने रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए हैं। वैज्ञानिक, तकनीकी पद, सहायक पद आदि के लिए भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। कुछ पदों के लिए परीक्षा और साक्षात्कार पूरा हो चुका है; कुछ पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है और साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं; कुछ विज्ञापन जारी किए गए हैं और परीक्षा आयोजित की जानी है; और कुछ के लिए विज्ञापन जारी किए जाने हैं। तथापि, समिति नोट करती है कि विभाग ने भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने और रिक्त पदों को भरे जाने की कोई निर्धारित तिथि प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त, पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आईसीएआर संस्थानों में काफी संख्या में पद रिक्त रहेंगे। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग ने कार्मिकों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न संस्थानों में जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। अतः, समिति अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराती है और चाहती है कि विभाग संस्थानों के सुचारू और अधिक सार्थक कामकाज के लिए 2022-23 के दौरान आईसीएआर के सभी संस्थानों में खाली वैज्ञानिक, प्रशासनिक और तकनीकी पदों को तेजी से भरे। कार्मिकों की सेवानिवृत्ति, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां होती हैं, को ध्यान में रखते हुए और किसी न किसी बहाने भर्ती में देरी करने के बजाय विभिन्न संस्थानों में जनशक्ति की आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद बिना किसी देरी के आगे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए।

अध्याय - दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है

<u>बजटीय आवंटन</u>

सिफारिश संख्या 1

समिति नोट करती है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को 8513.62 करोड़ रुपये का आवंटन (बीई) किया गया है जो 2022-2023 के लिए केंद्र सरकार के 3944909 करोड़ रुपये के कुल आवंटन का 0.22% है। समिति ने यह भी पाया कि विभाग ने बीई 2022-2023 के लिए 9698.91 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार का कुल बजट 2021-22 में 3483236 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3944909 करोड़ रुपये हो गया है फिर भी 2022-2023 के लिए 8513.62 करोड़ रुपये (बीई) का आवंटन किया गया है, जो बीई 2021-22 और आरई 2021-22 में किए गए आवंटन के बराबर है। इसलिए, भारत सरकार के कुल बजट में से विभाग के पक्ष में किए गए बजटीय आवंटन का अनुपात (% के संदर्भ में) 2021-22 में 0.24% से घटाकर 2022-23 में 0.22% कर दिया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय और संवर्धन करता है और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन और अभिनव प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कृषि को सतत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसने राष्ट्र को न केवल खाद्य और पोषण सुरक्षित रखने में सक्षम बनाया, बल्कि किसानों की आजीविका में भी सुधार किया। समिति का यह सुविचारित मत है कि विभाग के लिए आबंटनों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है जिससे विभाग और इसके संघटक अनुसंधान संस्थानों द्वारा नियोजित कार्यक्रमों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों के लिए निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अतः, समिति सरकार से सिफारिश करती है कि वह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए आवंटन को आरई 2022-23 में बढ़ाए। समिति चाहती है कि विभाग इस मामले को उठाए और वित्त मंत्रालय के साथ निधियों में वृद्धि के लिए पुरजोर प्रयास करे और समिति को परिणाम से अवगत कराए।

सरकार का उत्तर

विभाग वित्त मंत्रालय के साथ कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के लिए बजट आवंटन में वृद्धि के मामले को लगातार आगे बढ़ा रहा है। समिति की सिफारिश के अनुसार विभाग वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में अधिक आवंटन के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। इसके अलावा, सचिव, डेयर और वित्तीय सलाहकार, डेयर इस मुद्दे को उचित मंच पर उठा रहे हैं। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव ने विभाग को अतिरिक्त धनराशि आवंटन के लिए दिनांक 11.11.2021 एवं 21.01.2022 को डीओ पत्र लिखा है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>योजना शीर्ष के तहत आवंटन</u>

सिफारिश संख्या 2

समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए विभाग हेतु 8513.62 करोड़ रुपये के कुल आवंटन (बीई) में से 1995.83 करोड़ रुपये केंद्रीय क्षेत्र की योजना शीर्ष के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं जो कुल आवंटन का लगभग 23.44% है। शेष राशि गैर-योजना (स्थापना) के अंतर्गत आबंटित की गई है, जिसे वेतन, पेंशन, स्थापना व्यय आदि पर खर्च किया जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शीर्ष के तहत 1995.83 करोड़ रुपये का आवंटन (बीई) 2021-22 में किए गए 2686.00 करोड़ रुपये के आवंटन से 690.17 करोड़ रुपये कम है और आरई 2021-22 में किए गए 2347.00 करोड़ रुपये के आवंटन से 351.17 करोड़ रुपये कम है, यद्यपि विभाग को आबंटित कुल निधियां समान अर्थात् 8513.62 करोड़ रुपए रही। इस प्रकार, विभाग को कुल आवंटन में से केंद्रीय क्षेत्र की योजना शीर्ष के अंतर्गत किए गए आवंटन (बीई) का अनुपात 2021-2022 में 31.55% से घटकर 2022-2023 में 23.44% हो गया है। समिति का दृढ़ मत है कि विशेष रूप से योजना शीर्ष के अंतर्गत 2022-23 के लिए आबंटन में कमी से अनुसंधान और विकास गतिविधियों में बाधाएं उत्पन्न होंगी और कई प्रस्तावित गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकेगी। अतः,

समिति विभाग से सिफारिश करती है कि वह आरई स्तर पर आबंटन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाए।

सरकार का उत्तर

विभाग द्वारा योजना शीर्ष में आवंटन बढ़ाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तद्नुसार कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव ने दिनांक 21.01.2022 को डीओ पत्र लिखकर व्यय सचिव से योजना बजट के तहत आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया है। योजना बजट बढ़ाने का मामला पूरक मांगों के साथ-साथ आरई चरण के दौरान भी वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>निधियों को वापस करना</u>

सिफारिश संख्या 3

समिति ने विभाग के उत्तर से नोट किया है कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः 128.63 करोड़ रुपये और 68.63 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान की अव्ययित शेष राशि वापस कर दी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना के अंतर्गत 97.05 करोड़ रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 31.58 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2020-21 में योजना के अंतर्गत 68.13 करोड़ रुपये और गैर-योजना के अंतर्गत 0.50 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। हालांकि, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) से संबंधित 35.37 करोड़ रुपये की राशि को 2021-22 के दौरान उपयोग के लिए पुनर्वितरित किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग मुख्यरूप से विभिन्न योजनाओं/शीर्षों के अंतर्गत आबंटित निधि के कम उपयोग के कारण निधियों को वापस करता है। समिति को बताया गया कि कोविड-19 महामारी, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने, संशोधित अनुमानों में आवंटन में

देरी, विभिन्न संस्थानों द्वारा बिलों को देरी से जमा करने, वित्तीय नियमों का उचित पालन, प्रशासनिक कारणों आदि के कारण निधियों का कम उपयोग हुआ है।

समिति यह नोट करके निराश है कि वर्ष-दर-वर्ष इतनी बड़ी निधि को वापस लौटाना सर्वथा अच्छी परंपरा नहीं है और यह विभाग के विशेषरूप से बजटीय आबंटनों को बढ़ाने संबंधी अनुरोध को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। समिति का यह सुविचारित मत है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई अल्प निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गति और निधियों के प्रवाह की नियमित रूप से निगरानी की जाए जिससे निधियों के इतने बड़े पैमाने पर वापस करने से बचा जा सके। समिति विभाग से उन कारकों/कारणों की पहचान करने, जो निधियों के उपयोग में बाधा डालते हैं या प्रतिबंधित करते हैं और तदनुसार उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से निधियों के उपयोग के लिए निधि निगरानी की सुदृढ़ प्रणाली विकसित की है ताकि निधियों का अभ्यर्पण कम किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, कुछ वर्षों से निधियों के उपयोग में काफी सुधार हुआ है तथा निधियों का अभ्यर्पण कम हुआ है। वर्ष 2021-22 के दौरान, निधियों के अभ्यर्पण में और कमी होने की संभावना है क्योंकि परिषद की विभिन्न इकाइयों द्वारा प्राप्त अनुदानों का सूचित अनन्तिम व्यय लगभग 99.41% है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और स्थानिक फसलों का संरक्षण</u>

सिफारिश संख्या 4

समिति नोट करती है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक प्रबंधन के क्षेत्र को कवर करता है और देश में कृषि उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए किसानों के पास संसाधन उपलब्धता, पारंपरिक/स्वदेशी प्रौद्योगिकी ज्ञान और जमीनी स्तर पर कृषि नवाचारों को ध्यान में रखते हुए स्थान विशिष्ट, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए जमीनी स्तर पर समस्याओं को दूर करते हुए किसानों की भागीदारी मोड में अनुसंधान कर रहा है। समिति ने यह भी नोट किया है कि आईसीएआर ने राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर), नई दिल्ली में पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के संग्रह, लक्षण वर्णन, मूल्यांकन, संरक्षण और आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय स्तर के नोडल संस्थान के रूप में सुविधा विकसित की है। देश भर के 10 क्षेत्रीय स्टेशनों पर पारंपरिक किस्मों, स्थानीय किस्मों, फसल की जंगली क़िस्मों और स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया जा रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि कई स्थानीय फसल किस्में विलुप्त होने के कगार पर हैं और कभी-कभी, जलवायु परिवर्तन, असमय बाढ़, सूखा आदि जैसी प्रकृति की अनिश्चिताओं के कारण भी किसान पीड़ित हैं। अतः, समिति विभाग से क्षेत्र विशिष्ट, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों' पारंपरिक और स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के विकास को प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है। समिति विभाग से स्थानीय फसलों के संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाने की भी सिफारिश करती है जिससे उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके क्योंकि इनमें से कई फसलों में उच्च पोषक और औषधीय गुण हैं।

सरकार का उत्तर

विभाग ने देश के जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील जिलों (अत्यधिक और अधिक जोखिम वाले) में किसानों की भागीदारी के माध्यम से बड़े पैमाने पर कई स्थान-विशिष्ट, सस्ती, पर्यावरण और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया। संशोधित जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2021 से देश के जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील जिलों की सूची में कुल 85 नए जिलों को

जोड़ा गया है। विभाग जलवायु अनुकूलन पर महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए 17 प्रतिस्पर्धी और 1 प्रायोजित अनुदान संघटक के साथ 25 भागीदार संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन कृषि नवीनता परियोजना (निक्रा) चला रहा है जिससे कि फसलों, प्राकृतिक संसाधनों, मछली पालन और पशुधन जैसे क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझा जा सके तथा नव क्षेत्र विशिष्ट, सस्ती, पर्यावरण अनुकूल जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियां विकसित की जा सकें जिनसे देश में संसाधनहीन गरीब किसानों का उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ सके। देश के किसानों को 3000 प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा जलवायु अनुकूलन कृषि संबंधी प्रौद्योगिकीय विकास की जानकारी दी गई जिससे 50000 किसानों को लाभ हुआ।

भाकृअप में एक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीपीजीआर) है जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयूएस) तथा बायोडाइवर्सिटी इन्टरनेशलन की साझेदारी से राष्ट्रीय और विदेशी पादप और बागवानी फसलों के पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के प्रबंधन, अन्वेषण और संरक्षण हेतु कार्य कर रहा है। पारंपरिक स्थानीय किस्मों की बढ़ती उपलब्धता और नई अनुकूलित और अनुकूल विविधता वाली किस्मों तक पहुंच बढ़ाकर भारत में पीजीआर प्रबंधन की पहल से उच्च विविधता वाली फसलों को बनाए रखा जा रहा है और उनका उपयोग हो रहा है। इनमें से कई पारंपरिक किस्में खेती न किए जाने और खराब रख-रखाव के कारण नष्ट हो गईं या विकृत हो गईं। अच्छे बीजों की उपलब्धता में सुधार के लिए, सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना की गई है और देश के दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में केवीके और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए > 4000 देशी पारंपरिक किस्मों और किसानों की कई खाद्य फसलों की किस्मों का संरक्षण किया गया है। विभाग ने गेहूं (44) और चावल (34) की चयनित किस्मों के सेट को क्रमशः 15000 गेहूं उत्पादक किसानों और 7000 चावल उत्पादक किसानों के बीच बनाए रखने को बढ़ावा दिया। कुछ किसानों द्वारा अभी भी कई सैंकड़ों परंपरागत किस्मों और किसान की किस्मों का रखरखाव किया जा रहा है और इन किस्मों के संरक्षण के लिए, सामुदायिक बीज बैंक शुरू किए गए हैं। किसान वर्तमान में विभिन्न फसलों की 2,000 से अधिक पारंपरिक किस्मों को बनाए हुए हैं और इन प्रयासों से किसानों को व्यापक किस्म के बीजों की उपलब्धता सुगम होगी।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना</u>

सिफारिश संख्या 5

समिति नोट करती है कि कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग के कार्यकरण के फोकस क्षेत्र में से एक विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों, फसलों, ऑपरेशंस तथा कृषि श्रमिकों के कठिन श्रम को करने के लिए बेहतर कृषि उपकरणों और मशीनों के मशीनीकरण अंतरों और भावी जरूरतों की पहचान करना है। भारत में कृषि के मशीनीकरण में योगदान देने वाले कई उन्नत कृषि उपकरण/मशीनें/गैजेट्स, प्रौद्योगिकियां आदि विकसित और लोकप्रिय की गई हैं। समिति यह भी नोट करती है कि देश में मशीनीकरण के स्तर में व्यापक अंतर-क्षेत्रीय असमानताएं हैं। समिति का विचार है कि उत्पादकता बढ़ाने और मानव परिश्रम और खेती की लागत को कम करने के अतिरिक्त बीजों, उर्वरकों, रसायनों, कीटनाशकों और प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी के पोषक तत्वों आदि जैसे अन्य आदानों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए कृषि मशीनीकरण आधुनिक कृषि में एक आवश्यक इनपुट है। कृषि मशीनीकरण कृषि श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा संबंधी सुधार करने में मदद करता है, कृषि उपज की गुणवत्ता और मूल्य में सुधार करता है और किसानों को दूसरी और अनुवर्ती फसल लेने में सक्षम बनाता है जिससे भारतीय कृषि अधिक आकर्षक और लाभदायक हो जाएगी। यह भारतीय खेती को निर्वाह-आधारित से व्यावसायिक आधारित होने में सक्षम बना सकता है। अतः, समिति विभाग को देश के कम मशीनीकृत क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लागत प्रभावी, किफायती कृषि प्रौद्योगिकियों/प्रथाओं, मशीनों, उपकरणों आदि के विकास को प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है जिससे देश में मशीनीकरण के स्तर में अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके।

सरकार का उत्तर

विभाग देश भर में फैले अपने अनुसंधान संस्थानों अर्थात् कृषि औजार और मशीनरी (25 केन्द्र) संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से पशु ऊर्जा का उपयोग (9 केंद्र), कृषि में कृषि अर्थव्यवस्था और सुरक्षा (11 केंद्र) और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कृषि मशीनीकरण के लिए कृषि मशीनों, उपकरणों और औजार सहित कम लागत वाली सस्ती कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहा है। हाल के वर्षों के दौरान विकसित सस्ती प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित

शामिल हैं: पहाड़ियों के लिए हल्के वजन वाले बहु-फसल थ्रेशर, सीआईएई मैनुअल डंठल अप-रूटर, हाथ से चलने वाली सब्जी ट्रांसप्लांटर, बाजरा के लिए हाथ से संचालित पुल टाइप थ्री रो प्लांटर, एनिमल ड्रॉ वीडर-कम-फर्टिलाइजर एप्लीकेटर, स्थान विशिष्ट दूरी वाली फसलों में शीर्ष ड्रेसिंग के लिए विशिष्ट उर्वरक एप्लीकेटर, केला जड़ ट्रिमर उपकरण, केला छद्मतना इंजेक्टर, केला गुच्छा हार्वेस्टर, बाग फसलों के लिए हस्तचालित तरल इंजेक्टर, अंगूर की खेती में रासायनिक स्वाबिंग और छाल हटाने के लिए हस्तचालित उपकरण, हस्तचालित ईपीएन (एथिल पी-नाइट्रोफिनाइल थिनो बेंजीन फॉस्फोनेट) एप्लीकेटर, चावल के लिए स्वचालित सिंचाई प्रणाली, पोर्टेबल धान पुआल ब्रिकेटिंग मशीन, सौर ऊर्जा संचालित नैपसेक स्प्रेयर, सौर ऊर्जा संचालित पक्षी स्कारर, छिड़काव और निराई कार्यों के लिए सौर ऊर्जा संचालित प्राइम मूवर, प्याज के थोक भंडारण के लिए मॉड्यूलर प्रणाली, प्राकृतिक वेंटिलेटर आधारित मॉड्यूलर प्याज भंडारण प्रणाली, हस्त और बिजली चालित छोटे प्याज जी रेडर, मल्टी ग्रेन मिल, मूंगफली सह कैस्टर डेकोर्टिकेटर, पेडल कम पावर ऑपरेटेड क्लीनर, पारबोइलिंग यूनिट, फ्रूट ग्रेडर, इमली डीहुलर-डीसीडर, मैनुअल सुपारी डीहस्कर, व्हाइट पीपर बनाने की मशीन, हल्दी पॉलिशर, बहुउद्देशीय पॉलीहाउस सोलर ड्रायर, मशरूम के लिए फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, जीरा क्लीनर-सह-ग्रेडर, फल और सब्जी धोने की मशीन, लहसुन बल्ब ब्रेकर, खुबानी कर्नेल तेल डिकॉर्टिकेशन और निष्कर्षण और एलो वेरा जैल निष्कर्षण उपकरण।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>पराली जलाना</u>

सिफारिश संख्या 6

समिति नोट करती है कि देश के विभिन्न भागों और विशेषरूप से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है और इस बारहमासी समस्या को नियंत्रित करने और कम करने के लिए फसल अवशेषों के इन-सीटू मेनेजमेंट की आवश्यकता है। समिति को बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा फसल अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने और

शीतकालीन स्मॉग प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली में फसल अवशेषों के स्वस्थाने मेनेजमेंट के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम संचालित की जा रही है। समिति को यह भी बताया गया है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपस्कर विकसित किए हैं जिनमें हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ चॉपर कम स्प्रेडर, मौजूदा कंबाइनों के लिए सुपर स्ट्रॉ मेनेजमेंट प्रणाली आदि शामिल हैं और किसानों में जागरूकता और विश्वास पैदा करने के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शन किया गया। पूसा बायो-डिकंपोजर, फसल-अवशेषों के तेजी से अपघटन के लिए विकसित किया गया है, जिसे खेत में फसल अवशेषों पर छिड़का जाता है और तेजी से अपघटन प्रक्रिया के लिए रोटावेटर के साथ मिट्टी में मिलाया जाता है इसे बड़े पैमाने पर किसानों के खेत में प्रदर्शित किया गया है। केवीके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। समिति ने विभाग द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें देश के गरीब किसानों द्वारा खरीदे जा सकने वाले फसल अवशेषों के इन-सीटू मेनेजमेंट के लिए प्रौद्योगिकियों और उपकरणों और बायो-डिकंपोजरों को विकसित करने की सिफारिश की है। समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि वह इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन और बायो-डिकंपोजर के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, किसान मेला, पत्रकों/पैम्फलेट आदि के वितरण के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता पैदा करे जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने को रोका जा सके और परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।

सरकार का उत्तर

विभाग धान की पराली को जलाने की समस्या को कम करने के लिए यांत्रिक सह माइक्रोबियल कार्रवाई के लिए प्रौद्योगिकी विकास की परियोजना पर काम कर रहा है और इसका उद्देश्य धान की पुआल प्रबंधन के लिए कम लागत वाले अनुप्रयोगों का विकास करना है। 2021 के दौरान, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सरकारों ने किसानों को लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र में पूसा डीकंपोजर की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की। आईसीएआर-आईएआरआई ने 2021 में पंजाब और हरियाणा में 4.5 लाख एकड़ धान

की पराली में पूसा डीकंपोजर के अनुप्रयोग के लिए नर्चर फार्म (यूपीएल) के साथ सहयोग किया और 2022 में पूसा डीकंपोजर स्प्रे के साथ ~10 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा। विकसित अन्य तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं: बेलिंग ऑपरेशन के दौरान धान के भूसे का पूर्व-शोधन करने के लिए 'स्ट्रॉ बेलर के लिए यूरिया सॉल्यूशन स्प्रेइंग सिस्टम' और उक्त पूर्व-शोधन पुआल पशु आहार के लिए उपयुक्त है। रेट्रोफिटेड यूरिया सॉल्यूशन स्प्रेइंग सिस्टम की लागत रुपये 30,000/- और विकसित छिड़काव प्रणाली से यूरिया शोधन की लागत गठरी बनाने की लागत के अतिरिक्त 0.50/- रुपये प्रति किलो पुआल है। फसल अवशेषों के अन्य स्थान प्रबंधन के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं; i) धान के भूसे से प्रचुर बायोचार, ii) धान के भूसे से ब्रिकेट, और iii) धान के भूसे से बायो-गैस का उत्पादन।

विभाग ने डीडी किसान चैनल तथा साप्ताहिक पूसा समाचार पर आयोजित कई चर्चाओं के माध्यम से विभिन्न तकनीकों की उपलब्धता के बारे में किसानों के बीच व्यापक जागरूकता के लिए सभी प्रयास किए हैं, जिसमें उपकरण, पूसा डीकंपोजर, स्ट्रॉ बेलर के लिए यूरिया सॉल्यूशन स्प्रेइंग सिस्टम और धान के भूसे के अन्य स्थाने प्रबंधन शामिल हैं। यू-ट्यूब चैनल, स्थानीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में लेख, किसान मेला और क्षेत्र दिवसों के आयोजन भी किए गए हैं।

भाकृअप-केवीके ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों का उपयोग करने के लिए किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के जबरदस्त प्रयास किए। पिछले चार वर्षों के दौरान आयोजित आईईसी गतिविधियों में 2558 जागरूकता कार्यक्रम यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए, मशीनों के 33,508 प्रदर्शन, किसानों के लिए 856 प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों के 517 दौरे, 147 किसान मेलों का आयोजन, 1125 स्कूलों से 117,700 छात्र, 13.6 पत्रक/ इश्तहारों का वितरण 425 टीवी कार्यक्रम/पैनल चर्चाओं का आयोजन, 39071 पोस्टर/बैनरों, 3649 विज्ञापनों प्रिंट मीडिया में 1274 विज्ञापन, और 10,690 दीवार लेखन शामिल है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>जैविक खेती</u>

सिफारिश संख्या 7

समिति नोट करती है कि फसल विज्ञान कार्यक्रम का ध्यान उपज, गुणवत्ता और जैविक और अजैविक स्ट्रेसेस के प्रति सहनशीलता के लिए खेत की फसलों के आनुवंशिक सुधार पर है। समिति यह भी नोट करती है कि स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण, रसायन मुक्त जैविक उत्पाद की मांग बढ़ रही है। समिति को बताया गया कि विभाग ने केवल 16 राज्यों हेतु उपयुक्त 62 फसल प्रणालियों के लिए जैविक कृषि पैकेज विकसित किए हैं। समिति का विचार है कि देश में रसायन मुक्त जैविक खेती के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। अतः, समिति विभाग से देश के विभिन्न भागों के लिए विशिष्ट लागत प्रभावी, नई जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के विकास पर अनुसंधान को प्राथमिकता देने की सिफारिश करती है। समिति विभाग को अपने विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से नव विकसित जैविक कृषि पद्धतियों/प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने की भी सिफारिश करती है जिससे जैविक खेती के क्षेत्र में वृद्धि की जा सके, जो न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होता है बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा।

सरकार का उत्तर

विभाग का जैविक खेती पर 16 राज्यों में अखिल भारतीय नेटवर्क कार्यक्रम (एआईएनपी-ओएफ) चल रहा है, जिससे कि 11 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, 8 आईसीएआर संस्थानों/केंद्रों और 1 विशेष विरासत विश्वविद्यालय को सम्मिलित करके फसल पद्धतियों तथा कृषि प्रणाली परिप्रेक्ष्यों में फसलों के जैविक उत्पादन हेतु प्रक्रिया पैकेज विकसित किया जा सके। 16 राज्यों के लिए उपयुक्त 62 फसल प्रणालियों के लिए जैविक खेती पैकेज और 7 राज्यों के लिए उपयुक्त 8 एकीकृत जैविक खेती प्रणाली मॉडल भी तकनीकी बैकस्टॉपिंग प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं। खरीफ मौसम वर्ष 2021 से, 16 राज्यों को शामिल करते हुए 8 प्रमुख फसल पद्धतियों में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का मूल्यांकन शुरू किया गया है। जैविक कृषि पद्धतियों/प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, कार्यशाला आदि सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मई और अगस्त 2021 के दौरान, 16 राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय

भाषाओं में प्रक्रियाओं के पैकेज, एकीकृत जैविक खेती प्रणाली, मानकों, प्रमाणीकरण और जैविक खेती के लाभों पर आनलाइन जागरूकता का आयोजन किया गया जहां 11763 हितधारक लाभान्वित हुए। 23 राज्यों के कुल 183 अभ्यर्थियों ने जैविक खेती पर प्रमाणित कृषि सलाहकार पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और वे किसानों के बीच जैविक और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हैं। केवीके ने वर्ष 2021-22 के दौरान जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं जैसे जागरूकता, ज्ञान और कौशल के विकास पर 68058 किसानों के लिए 2365 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। 53508 क्विंटल जैविक आदानों अर्थात् जैव-एजेंट, जैव-कीटनाशक, जैव-उर्वरक, आदि का उत्पादन किया और जैविक खेती के लिए 4.09 लाख किसानों को इन्हें उपलब्ध कराया गया।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)</u>

सिफारिश संख्या 10

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने कृषि के मशीनीकरण, जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों के विकास, अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्में (एचवाईवी), कृषि और बागवानी फसलों की जैव-सुदृढ़ीकृत और स्ट्रैस सहनशील किस्मों सहित विशिष्ट ट्रेट किस्मों आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं, जिससे खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और लागत को कम से कम और उपज को बढ़ा कर कृषि आय में वृद्धि करने में मदद मिली है। समिति ने यह भी नोट किया है कि विभाग खेत और बागवानी फसलों की इन किस्मों की फसल/खेती और को लोकप्रिय बनाने व्यावसायीकरण के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। समिति को बताया गया कि देश में कृषि अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर निजी क्षेत्र भी भले ही कम हो, व्यय कर रहा है तथा विभाग ने अनुसंधान-उद्योग सहयोग भी कार्यान्वित किया है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि विभाग ने कृषि अनुसंधान के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत वित्त पोषण का उपयोग करने के लिए सीएसआर निधियों के

उपयोग के लिए 'आईसीएआर दिशानिर्देश, 2020' तैयार किए हैं। समिति का यह सुविचारित मत है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेषरूप से उच्च मूल्य वाली कृषि- बागवानी, औषधीय पादपों, पशुधन, मात्स्यिकी आदि के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः, समिति विभाग को सीएसआर वित्तपोषण, निजी क्षेत्र के निवेश, निजी क्षेत्र के साथ सहयोग आदि सहित वित्त के सभी स्त्रोतों का दोहन करने की सिफारिश करती है जिससे सतत कृषि पद्धतियों की प्राप्ति के लिए कृषि में अनुसंधान एवं विकास में व्यय में वृद्धि की जा सके जो पोषण सुरक्षा और कृषि आय में सुधार के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करती है।

सरकार का उत्तर

विभाग ने सभी स्रोतों से धन प्राप्त करने के प्रयास किए हैं: कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में खर्च को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर**,** निजी क्षेत्र ने निजी क्षेत्र इत्यादि के साथ सहयोग किया है। भाकृअप द्वारा बनाए गए सीएसआर दिशानिर्देशों के अनुमोदन के साथ, निजी कंपनियां अब भाकृअप और एसएयू के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। पीपीपी के तहत विभाग बीज के उत्पादन और विपणन के लिए 500 से अधिक निजी बीज कंपनियों को समझौता (एमओए) ज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की किस्मों और संकरों के लिए लाइसेंस देता है। भाकृअप-आईएआरआई ने पूसा डीकंपोजर के अनुप्रयोग और इसके प्रति जागरूकता के लिए नर्चर फार्म (यूपीएल) के साथ सहयोग किया है। भाकृअप-आईआईएसआर, लखनऊ ने सीएसआर के तहत अनुसंधान सहायता के लिए डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह, कोर्टेवा एग्रीसाइंस ने एनबीपीजीआर आरएस, हैदराबाद में अत्याधुनिक जलवायु नियंत्रित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए सीएसआर के तहत 50 लाख रुपये संचित किए हैं। विभाग ने टिकाऊ कृषि को साकार करने के लिए, जो कि पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करती है और कृषि आय में वृद्धि करती है, यूएसएआईडी जैसी विदेशी एजेंसियों**;** इक्रिसैट, हैदराबाद; विश्व कृषि वानिकी केंद्र (आईसीआरएफ), केन्या; आईडब्ल्यूएमआई, श्रीलंका; सीआईएमएमवाईटी**,** मेक्सिको; आईआरआरआई, फिलीपींस; जिरकास, जापान; एसीआईएआर, ऑस्ट्रेलिया; इकार्डा; फ्रांसीसी प्राकृतिक अनुसंधान एजेंसी (एएनआर), फ्रांस; जेएसपीएस, जापान; यूकेआरआई, यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय बांस और रैटन संगठन (आईएनबीएआर) और एनईआरसी-जीसीआरई से धन प्राप्त किया है। विभाग ने देश में कृषि के

मशीनीकरण और अन्य कृषि कार्यों/फसल कटाई के उपरांत के प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र अथवा सापेक्ष महत्व के उद्यमियों के साथ सहयोगात्मक तरीके से उपकरण और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के प्रयास किए हैं। तद्नुसार, मेसर्स बर्जन एग्री, प्रा. लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र; मेसर्स प्रदीप मेटल्स लिमिटेड, नवी मुंबई; भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसआईआर), मेसर्स सेव ग्रेन सॉल्यूशंस लिमिटेड, पुणे और मेसर्स इंडियन गेरकिन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, बेंगलुरु ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया है।

विभाग ने अलग-अलग स्थानों पर परीक्षणों के लिए बागवानी फसलों पर अनुसंधान एवं विकास के लिए 13 निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग किया; मेसर्स बेजो शीतल सीड्स, जालना; मेसर्स वीएनआर सीड्स, छत्तीसगढ़; मैसर्स अंकुर सीड्स, नागपुर और मैसर्स निर्मल सीड्स, जलगांव। एग्री-कल्चर प्राइवेट लिमिटेड, तुमकुर, कर्नाटक; एग्रीनोस इंडिया प्रा. लिमिटेड, बेंगलुरु; मेसर्स वेन्टालिस्टबिजनिस शॉल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड बेंगलुरु; मेसर्स महिंद्रा एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड, महाराष्ट्र; सीआईआई-एसईआरबी- बायर-बीएएसएफ (ननहेम्स सीड्स प्राइवेट लिमिटेड); मेसर्स ज़ेनट्रॉन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु; मैसर्स कला बायोटेक, पुणे; मैसर्स आरके इंजीनियरिंग, पुणे और मैसर्स बेलगाम मिनरल्स, बेलगाम, कर्नाटक के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

पशु विज्ञान अनुसंधान विभाग में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास, संविदात्मक और अन्य से वित्त पोषण के साथ कुल 224 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों जैसे डीबीटी, डीएसटी, सीजेडए, एफएसएसएआई, आईसीएमआर, यूपीसीएआर, आरकेवीवाई, डीएएचडी आदि ने 127.48 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। जबकि, सीडीसी, यूएसए, सीईएच, यूके, आईएलआरआई, केन्या; आसियान, इंडो-स्पेन, डब्ल्यूआरएल-एफएमडी, बीएमजीएफ, डीएएडी-डीएसटी, एनआरसी प्रोटोजोआ डिजीज जापान, आईएईए, वियना आदि ने लगभग 18.75 करोड़ रुपये दिए हैं। विभिन्न एसएयू, एनसीडीसी, आईआईटी, आईआईसीटी, सीसीएमबी आदि के साथ अनुसंधान सहयोग चल रहा है जिन्होंने 10.98 करोड़ रुपये की वित्त सहायता प्रदान की है। संविदात्मक अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान के लिए 7.99 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है। अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए सीडब्ल्यूडीबी, आईटीआरए, एनईसी, नाबार्ड, सीएसबी, एफएफपी आदि जैसे अन्य स्रोतों से 7.47 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्रदान किया गया है। निजी क्षेत्रों के साथ कई समझौता ज्ञापन पूरे किए गए हैं। जीविका बिहार, बाईफ प्रयागराज, निरफद मथुरा और उत्तराखंड ग्रामीण विकास

समिति जैसे गैर सरकारी संगठनों के साथ अनुसंधान परियोजनाओं को भी देश में पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। परिषद को मत्स्य विज्ञान अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सीएसआर फंडिंग और अन्य स्रोतों से 36.15 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

विभाग ने कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड, आईआरआरआई- फिलीपींस, डीएसआईआर के साथ सहयोग किया है। जलवायु अनुकूल कृषि (ओआईआईपीसीआरए) के तहत खेती से जुड़ी महिलाओं के सशक्तीकरण और अनुसंधान के लिए जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग, ओडिशा सरकार, के साथ 6.71 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को लेकर समझौता ज्ञापन किया गया है। पोषण सुरक्षा के लिए अनुसंधान करने और कृषि से जुड़ी महिलाओं की आय में सुधार करने व धन की व्यवस्था के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम (भारतीय/शाखा) और आईएलआरआई के साथ समझौता करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

<u>हाइड्रोपोनिक्स</u>

सिफारिश संख्या 11

समिति नोट करती है कि हाइड्रोपोनिक्स आधारित वर्टिकल फार्मिंग अवधारणा पानी और पोषक तत्वों के कुशल उपयोग के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम करने के लिए सिंगल या मल्टीलेयर में कुछ बुनियादी ढांचे की सहायता के साथ विभिन्न प्रकार के मिट्टी रहित मीडिया, पानी और हवा में मिट्टी के बिना फसलों को उगाने के लिए है। इसके अतिरिक्त समिति नोट करती है कि देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्टिकल हाइड्रोपोनिक्स आधारित खेती के लिए अपार संभावनाएं और संभावनाएं हैं, देश भर में प्रचलित जैविक और अजैविक स्ट्रेस और मृदा जनित बीमारियां न होने के कारण स्वस्थ भारतीय नागरिकों के लिए उच्च मूल्य वाली अच्छी सब्जियों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, पानी और पोषक तत्वों के कुशल उपयोग के साथ अधिकतम फसल उत्पादन और वर्टिकल हाइड्रोपोनिक्स आधारित फसलों के लिए उपलब्ध विशिष्ट विपणन के

कारण आय में वृद्धि हुई है। हालांकि, उच्च प्रारंभिक लागत, स्वदेशी मॉडलों की आवश्यकता और सरल प्रौद्योगिकी, किसानों के लिए एक्सपोजर और प्रशिक्षण इसकी लोकप्रियता में मुख्य चुनौतियां हैं। समिति को बताया गया कि विभाग का आईसीएआर-आईएआरआई वर्टिकल हाइड्रोपोनिक्स आधारित खेती सहित संरक्षित खेती प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण करता है। समिति का मानना है कि हाइड्रोपोनिक्स पर अनुसंधान अब तक अपर्याप्त है। अतः, समिति विभाग से यह सिफारिश करती है कि वह चुनौतियों - उच्च प्रारंभिक लागत, स्वदेशी मॉडलों की आवश्यकता और सरल प्रौद्योगिकी, किसानों को एक्सपोजर और प्रशिक्षण, से पार पाने के लिए अनुसंधान को प्राथमिकता दे-, जिससे देश में हाइड्रोपोनिक्स आधारित वर्टिकल खेती को लोकप्रिय बनाया जा सके।

सरकार का उत्तर

हाइड्रोपोनिक वर्टिकल खेती एक नया क्षेत्र है और भारतीय परिस्थितियों के लिए स्वदेशी सरल प्रौद्योगिकी का विकास, उच्च प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए, किसानों को जानकारी और प्रशिक्षण देना अपेक्षित है ताकि इसको व्यापक रूप से अपनाया जा सके। कम लागत वाली किसान हितैषी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान के प्रयास जारी हैं।

विभाग ने हाइड्रोपोनिक्स/मिट्टी रहित/संरक्षित खेती की तकनीक पर शोध प्रयास किए हैं और उसी के अनुसार सदाबहार फसलों जैसे सुपारी और कोको की पौध उगाने और सब्जियों के लिए भी बायोइनोकुलेंट्स से संशोधित नारियल के पत्ते वर्मीकम्पोस्ट और कॉयर-पीठ खाद का उपयोग करके मिट्टी रहित माध्यम तैयार किया गया है। एक वर्ग मीटर में सब्जियों, फूलों और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए अर्का वर्टिकल गार्डन संरचना का डिजाइन तैयार और विकसित किया गया है। बीज आलू उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और देश भर में 16 सार्वजनिक और निजी उद्यमियों के लिए इसका व्यावसायीकरण किया गया है। सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय पौधों की खुली और पॉलीहाउस मिट्टी रहित खेती के अंतर्गत मिट्टी रहित संवर्धन/ हाइड्रोपोनिक्स के लिए उत्पादन तकनीक का मानकीकरण किया गया है। डीप फ्लो तकनीक (डीएफटी) पत्तेदार सब्जियों के लिए उपयुक्त है। पत्तेदार सब्जियों के लिए एग्रीगेट विक सिस्टम के साथ वर्टिकल फ्रेम का खाका तैयार किया गया है। यह देखने में

आया है कि यह पानी के उपयोग में 40% अधिक सफल है और इससे 40% कम बिजली की खपत हुई है। जरबेरा, लिलियम और ग्लैडियोलस के लिए 10-12 फीट तक के वर्टिकल फ्रेम के साथ हाइब्रिड न्यूट्रिएंट फिल्म तकनीक (एनएफटी) का खाका तैयार किया गया है और यह देखने में आया है कि इससे अधिक पानी के उपयोग की दक्षता और कम बिजली की खपत हुई है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे रोपण घनत्व 5-6 गुना अधिक होता है।

पारंपरिक पद्धति की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र (5 गुना वृद्धि के साथ) अधिक पौधों को समायोजित करने के लिए कटे हुए फूलों के उत्पादन के लिए ऑर्किड की वर्टिकल खेती में संवर्धन संचालन पर अनुसंधान शुरू किया गया है और इस तरह प्रति इकाई क्षेत्र में रिटर्न में वृद्धि दर्ज की गई है। औषधीय फसलों जैसे ब्रह्म (बकोपा मोननेरी), पुदीना, भृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा), कालमेघ (एंड्रोग्राफिस पैनिकुलेट), तुलसी, लंबा धनिया (एरिंजियम फेटिडम), इत्यादि पर पोषक तत्व फिल्म तकनीक के उपयोग की संभावना पर अनुसंधान शुरू किया गया है।

किसानों के लिए हाइड्रोपोनिक/मिट्टी रहित कृषि तकनीक पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और किसानों को प्रदर्शनियों, प्रकाशन पुस्तिकाओं और इलेक्ट्रॉनिकी संचार माध्यम के द्वारा इस प्रौद्योगिकी और इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके अलावा, राज्य कृषि/बागवानी विभागों सहित हितधारकों को अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों और राज्य स्तरीय सेमिनारों में औपचारिक बातचीत के माध्यम से प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाती है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

अध्याय - तीन

सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

- शून्य –

अध्याय - चार

सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)

सिफ़ारिश सं. 8

समिति नोट करती है कि कृषि विस्तार प्रभाग देश के 750 जिलों में फैले 727 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) के नेटवर्क के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता की पहचान करने, विभिन्न फसलों की उत्पादन क्षमता को बताने के लिए फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन, ज्ञान और कौशल सुधार पर किसानों और विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण और देश के किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए खेतों पर परीक्षण कर रहा है। समिति विभाग के इस उत्तर को भी नोट करती है कि सरकार के निर्णय के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक केवीके स्वीकृत किया जाएगा। वर्तमान में देश में 727 केवीके हैं, हलांकि देश के 73 जिलों में एक भी केवीके नहीं है जबकि 92 जिलों में एक से अधिक केवीके कथित तौर पर कार्य कर रहे हैं। एक से अधिक केवीके वाले जिलों का निर्णय तीन सूचकांकों अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण जनसंख्या और निवल बुवाई क्षेत्र के औसत के साथ एक समग्र सूचकांक के आधार पर किया जाता है। समिति को अवगत कराया गया है कि 727 केवीके में से सभी केवीके में अनुदेशात्मक फार्म हैं, हालांकि, केवल 663 केवीके में ही प्रशासनिक भवन हैं और 563 केवीके में किसानों के छात्रावास हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक केवीके में 01 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तथा 6 विषय से संबंधित विशेषज्ञ (एसएमएस) का प्रावधान है। हालांकि, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और प्रमुख के 193 पद रिक्त हैं और एसएमएस के 1257 रिक्त पद हैं। समिति का यह सुविचारित मत है कि केवीके को बिना कोई देरी किए सुदृढ़ किया जाए और अपने क्षेत्र में कृषि आबादी को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विस्तार कार्यक्रमों और आउटरीच के संदर्भ में अधिक सक्षम बनाया जाए। अतः, समिति विभाग को 2022-23 के दौरान शेष 73 जिलों में जहां एक भी केवीके नहीं है और उन जिलों में जो तीन सूचकांकों अर्थात् भौगोलिक क्षेत्र, ग्रामीण आबादी और निवल बुवाई क्षेत्र के औसत के साथ एक समग्र सूचकांक के आधार पर एक से अधिक केवीके के हकदार हैं वहां कम से कम एक केवीके खोलने की सिफारिश करती है। इस संबंध में विभाग पर्याप्त धनराशि की मांग की जाए। समिति

विभाग को प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केवीके में अपेक्षित सुविधाओं - अवसंरचना, मशीनरी, उपस्करों और उपकरणों, कार्यबल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से नए विकसित बीजों, मशीनों, कृषि प्रौद्योगिकियों/तरीकों आदि के बारे में किसानों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केवीके में किसानों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण की प्रभावकारिता और परिणाम का मूल्यांकन करने की भी सिफारिश करती है।

सरकार का उत्तर

विभाग ने निधि की उपलब्धता के अनुसार केवीके में आधारभूत संरचना निर्माण के प्रयास किए। मौजूदा योजना में शेष बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान किया गया है. पिछले पांच वर्षों के दौरान आवश्यकता के अनुसार, कृषि मशीनरी और उपकरण, दलहन बीज केन्द्र, मिट्टी परीक्षण किट, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ केवीके की संख्या को मजबूत किया गया है। वर्तमान में, देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हैं और ईएफसी के अनुसार देश में 14 और कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 1.7 देखें।

आईसीएआर के संस्थानों में रिक्तियां

सिफ़ारिश सं. 12

समिति यह नोट करके निराश है कि आईसीएआर के संस्थानों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं जहां वैज्ञानिक पदों, प्रशासनिक पदों और तकनीकी पदों की स्वीकृत संख्या क्रमश: 5988, 10829

6967 है वहीं इनकी वास्तविक संख्या क्रमश: 4858, 6909 और 4106 है। विभाग ने आईसीएआर के संस्थानों में कार्यबल की कमी का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है और बिना किसी हिचक के कहा है कि वैज्ञानिकों के विभिन्न संवर्गों/पदों पर रिक्तियां कार्यकरण और वांछित परिणामों की प्राप्ति को प्रभावित नहीं करती हैं। हालांकि, आईसीएआर-केन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (सीसीएआरआई), गोवा, में 6 सितंबर, 2021 को, आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएसएम), बरोंडा, रायपुर में 8 सितंबर, 2021 को और आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), विशाखापत्तनम में 10 सितंबर, 2021 को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (पूर्व में कृषि संबंधी स्थायी समिति), की अध्ययन यात्रा के दौरान, समिति को अन्य बातों के साथ-साथ इन संस्थानों के सुचारू संचालन में चुनौतियों के रूप में कार्यबल की कमी और रिक्त पड़े विभिन्न वैज्ञानिक और प्रशासनिक पदों के बारे में अवगत कराया गया। ये सभी वास्तविकताएं विभाग के कार्यकरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। विभाग ने जांच के दौरान बताया कि भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है और आईसीएआर रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास करता है और अब इन रिक्त पदों को भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। अतः, समिति विभाग को संस्थानों के सुचारू और अधिक सार्थक कार्यकरण के लिए 2022-23 के दौरान आईसीएआर के संस्थानों में रिक्त वैज्ञानिक, प्रशासनिक और तकनीकी पदों को शीघ्रता से भरने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति विभाग से यह भी सिफारिश करती है कि किसी न किसी बहाने भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब करने के बजाय जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न संस्थानों में बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं, विभिन्न संस्थानों में कार्मिकों की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रख कर और कार्यबल की आवश्यकताओं का आकलन

करके पहले ही भर्ती प्रक्रिया की शुरूआत करे। समिति को इस मामले में विभाग और अनुसंधान संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।

सरकार का उत्तर

विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए हैं। वैज्ञानिक पदों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में लगभग 220 वैज्ञानिक साक्षात्कार चरण में हैं तथा कठिन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के 210 रिक्त पदों का अगला सेट भरने के लिए एएसआरबी को भेजने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, रिक्ति अधिसूचना विज्ञापन सं. 01/2021 के तहत भाकृअप में 89 अनुसंधान प्रबंधन पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें 05 पद पहले ही भरे जा चुके हैं और शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। रिक्त 763 तकनीकी पदों पर (टी -1) की भर्ती प्रक्रिया जारी है जिसके लिए फरवरी-मार्च 2022 के दौरान परीक्षा आयोजित की गई थी। तकनीकी सहायक (टी -3) के 748 रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रक्रिया जारी है। सहायक के 467 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन अधिसूचित किया गया है और परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (एसटीओ) (टी-6) के 46 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 1.13 देखें।

अध्याय - पांच

सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं

कृषि शिक्षा

सिफ़ारिश सं. 9

समिति ने नोट किया कि कृषि शिक्षा प्रभाग देश की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली की शिक्षा योजना, मानव संसाधन विकास और गुणवत्ता सुधारों का समन्वय करता है। यह पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के नवीनीकरण और पुनर्विन्यास, कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रत्यायन और इसे अनुदान जारी करने, ग्रेडिंग प्रणाली विकसित करने, कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग शुरू करने आदि के साथ जोड़कर उच्चतर कृषि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बनाए रखने और उन्नत करने का प्रयास करता है। समिति विभाग के इस विचार से पूरी तरह सहमत है कि प्राकृतिक, शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्यवर्धन और प्रबंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को संशोधित करने की आवश्यकता है। समिति को यह भी बताया गया कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग देश के कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को तैयार करने और इसमें संशोधन में सक्रिय भूमिका निभाता है और पाठ्यक्रम को पूरे देश में एक समान बना दिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को प्रत्येक 10 वर्षों में डीन समिति के गठन के माध्यम से आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित/अद्यतन किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिश और कार्यान्वयन के अनुसार आवश्यक पाठ्यक्रम संशोधन के लिए छठी डीन समिति का गठन किया गया है। व्यापक विषय क्षेत्र समितियों (बीएसएमए) ने एनईपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रमों के 79 विषयों के लिए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, जैविक खेती का पाठ्यक्रम यूजी, पीजी और पीएचडी पाठ्यक्रम दोनों में शामिल किया गया है और यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रमों में प्राकृतिक खेती की शुरूआत के लिए समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु के लिए दिशा-निर्देश और रूपरेखा तैयार करेगी। समिति को लगता है कि यह अति आवश्यक है कि विभाग यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रमों में शुरू

करने के लिए प्राकृतिक खेती की पाठ्यक्रम सामग्री के लिए दिशा-निर्देशों और रूपरेखा को तैयार करने में तेजी लाए।

सरकार का उत्तर

विभाग ने स्नातकोत्तर (पीजी) और पूर्वस्नातक (यूजी) कार्यक्रमों में प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 31 मार्च 2022 को माननीय कृषि मंत्री के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया है। पाठ्यक्रम को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा पूर्वस्नातक विषयों के साथ एकीकृत किया जाएगा। अनुशंसित पाठ्यक्रम को कृषि विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।

[कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)
फा.सं. 7(3)/2022 दिनांक 6 जून 2022]

समिति की टिप्पणियां

समिति की टिप्पणियों के लिए कृपया प्रतिवेदन के अध्याय एक का पैरा संख्या 1.10 देखें।

नई दिल्ली; **पी.सी. गद्दीगौडर**
6 दिसम्बर, 2022 **सभापति**
15अग्रहायण, 1944 (शक) **कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति**

अनुबंध

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

*****

समिति की बैठक मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 को 1100 बजे से 1245 बजे तक समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री पी.सी. गद्दीगौदर – *सभापति*

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए. गणेशमूर्ति
3. श्री कनकमल कटारा
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
6. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
7. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

8. **श्री मस्थान राव बीडा**
9. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे
10. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
11. श्री कैलाश सोनी
12. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
13. श्री राम नाथ ठाकुर

सचिवालय

1.	**श्री शिव कुमार**	**-**	**अपर सचिव**
2.	**श्री नवल के. वर्मा**	**-**	**निदेशक**
3.	**श्री उत्तम चंद भारद्वाज**	**-**	**अपर निदेशक**
4.	**श्री प्रेम रंजन**	**-**	**उप सचिव**
5.	**श्री एन. अमरत्यागन**	**-**	**अवर सचिव**

2. सर्वप्रथम, सभापति ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, लार्डिस समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा ताकि सदस्यों को शोध में बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में की गई नई पहलों, संसद ग्रंथालय में नई पहल, संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों/भंडार के बारे में जागरूकता पैदा करना, प्राइड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात, लार्डिस के अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया:

*(i) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*(ii) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX;

(iii) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन;

*(iv) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*(v) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*(vi) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

4. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*7. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*8. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

*मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।

<u>परिशिष्ट</u>

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के अड़तीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों / सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 4 देखें)

(i) सिफ़ारिशों की कुल संख्या 12

(ii) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

पैरा सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 और 11

कुल 09

प्रतिशत 75.00%

(iii) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

पैरा सं. शून्य

कुल 00

प्रतिशत 00.00%

(iv) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

पैरा सं. 8 और 12

कुल 02

प्रतिशत 16.67%

(v) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं

पैरा सं. 9

कुल 01

प्रतिशत 08.33%